

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 106 / 2018

दर्ज दिनांक:—16.10.2018

1. लाखन सिंह पुत्र पतरे
2. ब्रजमोहन पुत्र पतरे
3. ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र पतरे

.....वादीगण

बनाम

1. हीरालाल पुत्र प्रभु जाति जाटव निवासी ग्राम धौरमुई तह. व जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक:—29.11.2019

आज यह पत्रावली वादीगण के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। वादीगण ने प्रा०पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से दावे का कोई औचित्य नहीं रहा है। दावा विझों किए जाने पर खारिज किया जावे। वादीगण की पहचान उनके वकील द्वारा की गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वादीगण को सुना, वे अपने दावा को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः दावा वादीगण विझों किए जाने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दा०द० हो।

सत्यमेव जयते

(SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर

Web Copy - Not Official